कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग।

का0ज्ञ0सं0 64 /विविध(कोविड –19)/2020–21, दिनांक 12 दिसम्बर 2020

कार्यालय सूचना

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 1404/XXIV-C-4/2020-01(07)/2020 दिनांक 11 दिसम्बर 2020 के क्रम में राज्य के समस्त महाविद्यालयों को दिनांक 15 दिसम्बर 2020 से भौतिक रूप से खोले जाने की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान की गई है–

1. ऑफलाइन पठन–पाठन हेतु इच्छकु छात्र/छात्राओं को सर्वप्रथम अभिभावक से अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिभावक का फोन नम्बर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रयोगात्मक कक्षाऐं ही ऑफलाइन संचालित की जायेंगी।
3. अन्य विषयों (जिन में प्रयोगात्मक कक्षाओं का संचालन नही किया जाता है) में यथावत ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाता रहेगा।
4. सभी छात्र/छात्राऐं उचित समाजिक दूरी का पालन करेंगे।
5. सभी छात्र/छात्रायें महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से फेस मास्क का प्रयोग करेंगे। बिना फेस मास्क के महाविद्यालय/कक्षाओं में प्रवेश नही दिया जायेगा।
6. महाविद्यालय में अनावश्यक भीड़ न करें। अपने समय सारिणी के अनुसार ही महाविद्यालय में प्रवेश करें।
7. राज्य से बाहर से आने वाले छात्रों (छात्रावास में रहने वाले छात्रों सहित) के लिए कोविड–19(RT-PCR) टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।

12-12.2020

प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग